

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 फरवरी 2026—माघ 13, शक 1947

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2026

क्र. एफ-1-1-1-0095-2025-जीएडी-आरटीआई-एक-जीएडी.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा आयोग के कार्य की अपेक्षानुसार, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के 06 पद स्वीकृत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कुमार हनोटिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2026

क्र. एफ-1-1-1-0095-2025-जीएडी-आरटीआई-एक-जीएडी.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-1-1-0095-2025-जीएडी-आरटीआई-एक-जीएडी, दिनांक 2 फरवरी 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कुमार हनोटिया, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd February 2026

No. F-1-1-1-0095-2025-GAD-RTI-I-GAD.—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 15 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) and as per the requirements of the Commission's work, the State Government, hereby, sanction 06 posts of State Information Commissioner in the Madhya Pradesh State Information Commission.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHAIENDRA KUMAR HINOTIA, Dy. Secy.